दिनांक 09.11.2022
प्रेस विज्ञप्ति 09/2022

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना गोमतीनगर

- **01 लाख रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 08.11.2022 को थाना गोमतीनगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रायपुर छत्तीसगढ़ रेलवे स्टेशन की पार्किंग से पुरस्कार घोषित अभियुक्त राजेश उर्फ रमेश को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ के थाना गोमतीनगर पर अपहरण, हत्या, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना गोमतीनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0–18/2007 धारा 364/506/364ए/120बी/302/201 भादवि में माननीय न्यायालय से जमानत के उपरान्त फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर 01 लाख रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना गोमतीनगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राजेश उर्फ रमेश निवासी ग्राम मुस्तफाबाद थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी हालपता–मुकीमगंज थाना आदमपुर, वाराणसी, वर्तमान पता–हाउसिंग बोर्ड भिलाई आई0ई0 भिलाई दुर्ग छत्तीसगढ़।

जनपद बरेली/थाना सीबीगंज

- **25–25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 08.11.2022 की रात्रि थाना सीबीगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मथुरापुर तिराहे से पुरस्कार घोषित 02 अभियुक्तों 1–आरिफ 2–नवाब को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त आरिफ के विरूद्ध जनपद बरेली के थाना सीबीगंज पर चोरी, सीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग व अभियुक्त नवाब के विरूद्ध जनपद बरेली के थाना सीबीगंज पर चोरी, सीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना सीबीगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0–390/2022 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वॉछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये के पुरस्कार घोषित थे।

इस सम्बन्ध में थाना सीबीगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–आरिफ निवासी ग्राम तिलियापुर थाना सीबीगंज जनपद बरेली।

2–नवाब निवासी ग्राम तिलियापुर थाना सीबीगंज जनपद बरेली।

<u>जनपद गाजीपुर/थाना रेवतीपुर</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 30 हजार रूपये नगद**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा, 02 जीवित, 04 खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 08.11.2022 की रात्रि थाना रेवतीपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा रेवतीपुर मोड़ के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर करते हुये भागने लगे, जिस पर पुलिस टीम द्वारा कन्ट्रोलरूम को अवगत कराते

हुये बदमाशों का पीछा किया गया तथा कन्ट्रोलरूम की सूचना पर थानाध्यक्ष गहमर मय पुलिस टीम द्वारा बदमाशों की नवली गॉव में घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—अभिषेक उर्फ बन्टी घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2—सीताराम सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट के 30 हजार रूपये नगद, चोरी की 01 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा, 02 जीवित, 04 खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त अभिषेक उर्फ बंटी के विरूद्ध जनपद गाजीपुर, आजमगढ़, वाराणसी के विभिन्न थानों पर हत्या, चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 21 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त अभिषेक उर्फ बन्टी थाना बिरनो पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना रेवतीपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अभिषेक उर्फ बंटी निवासी ग्राम बाला सरसौली थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर।

2—सीताराम निवासी ग्राम सहावलपुर अल्देमऊ सरौदा थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ।

बरामदगी

1—लूट के 30 हजार रूपये नगद।

2—चोरी की 01 मोटर साइकिल।

3—02 अवैध तमंचा, 02 जीवित, 04 खोखा कारतूस।

जनपद रायबरेली/थाना मिलएरिया

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटे गये सोने के आभूषण**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 09.11.2022 को थाना मिलएरिया व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शारदा नहर पुल सुल्तानपुर रोड के पास मोटर साइकिल सवार बदमाशों की घेराबन्दी गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–रोहित घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–रितेश उर्फ पिन्टू सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये सोने के आभूषण, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त राहुल के विरूद्ध जनपद रायबरेली के विभिन्न थानों पर लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त रोहित थाना मिलएरिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0–449/2022 धारा 392/411 भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण लूट की घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना मिलएरिया पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रोहित निवासी सीकी सलीमपुर थाना मिलएरिया जनपद रायबरेली।

2–रितेश उर्फ पिन्टू निवासी बंगला बाजार थाना आशियाना, लखनऊ।

बरामदगी

1–लूटे गये सोने के आभूषण।

2–घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस बरामद।

जनपद फतेहगढ़/थाना कोतवाली फर्रूखाबाद

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 10 हजार 500 रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 09.11.2022 को थाना कोतवाली फर्रूखाबाद व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बस अड्डा फर्रूखाबाद के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अतुल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट के 10 हजार 500 रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद फतेहगढ़ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, आर्म्स एक्ट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त जनपद फतेहगढ़ से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपया थाना कोतवाली फर्रूखाबाद पर पंजीकृत लूट के अभियोग से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली फर्रुखाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अतुल निवासी गंगा दरवाजा थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

बरामदगी

1–लूट के 10 हजार 500 रूपये नगद।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस।

जनपद देवरिया/थाना बरियारपुर

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **07 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 01 लाख 30 हजार 200 रूपये नगद**
- **07 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त 03 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 08.11.2022 को थाना बरियापुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सरौरा से धूमनगर जाने वाले रास्ते में सागौन के बगीचे से 07 अभियुक्तों 1–प्रमोद उर्फ राज 2–शक्ति 3–रूद्रेश 4–सन्नी 5–जाहिद अंसारी 6–सोनू कुमार 7–सतीश कुमार को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 01 लाख 30 हजार 200 रूपये नगद, 07 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 03 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 07.11.2022 को थाना बरियारपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बरियारपुर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना बरियापुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–प्रमोद उर्फ राज निवासी डीहाखुर्द थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरिया।

2–शक्ति निवासी डीहाखुर्द थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरिया।

3–रूद्रेश निवासी मुजहना घाट थाना तरकुलवा जनपद देवरिया।

4–सन्नी निवासी नौतन थाना बरियारपुर जनपद देवरिया।

5–जाहिद अंसारी निवासी गुदीजोर थाना तरकुलवा जनपद देवरिया।

6–सोनू कुमार निवासी नौतन थाना बरियारपुर जनपद देवरिया।

7–सतीश कुमार निवासी कुशहरी थाना बरियारपुर जनपद देवरिया।

बरामदगी

1–लूट के 01 लाख 30 हजार 200 रूपये नगद।

2–07 मोबाइल फोन।

3–घटना में प्रयुक्त 03 मोटर साइकिल।

जनपद मैनपुरी/थाना बरनाहल

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **100 लीटर अवैध शराब**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 09.11.2022 को थाना बरनाहल पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नवाटेढा तिराहे से पुरस्कार घोषित अभियुक्त उमेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 100 लीटर अवैध शराब, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मैनपुरी के विभिन्न थानों पर चोरी, धोखाधड़र, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना करहल पर पंजीकृत मु0अ0सं0–365/2022 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बरनाहल पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–उमेश निवासी ग्राम साजहाजीपुर थाना करहल जनपद मैनपुरी।

<u>बरामदगी</u>

1–100 लीटर अवैध शराब।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस।

<u>जनपद कुशीनगर/थाना नेबुआ नौरंगिया</u>

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 06 हजार 550 रूपये नगद**
- **चोरी के लगभग 01 लाख रूपये कीमत के सोने–चाँदी के आभूषण आदि बरामद**

दिनांक 08.11.2022 को थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नौरंगिया तिराहा के पास से 03 अभियुक्तों 1–अमित उर्फ लक्कड़ 2–कृष्णा 3–सफी मोहम्मद उर्फ बबलू को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 06 हजार 550 रूपये नगद, चोरी के लगभग 01 लाख रूपये कीमत के सोने–चाँदी के आभूषण आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना नेबुआ नौरंगिया क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना नेबुआ नौरंगिया पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, आभूषण चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अमित उर्फ लक्कड़ निवासी नौरंगिया थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर।

2–कृष्णा निवासी नौरंगिया थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर।

3–सफी मोहम्मद उर्फ बबलू निवासी पिपरा बाजार थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर।

बरामदगी

1–चोरी के 06 हजार 550 रूपये नगदझ

2–चोरी के लगभग 01 लाख रूपये कीमत के सोने–चाँदी के आभूषण आदि।

जनपद कुशीनगर/थाना कसया

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **22 हजार रूपये नगद**
- **01 लाख 51 हजार 375 रूपये नगद**
- **01 पीओएस पेटीएम मशीन, 01 स्कैचर मशीन**
- **21 एटीएम कार्ड, 13 फर्जी सिम, 05 मोबाइल फोन, 02 कूटरचित नम्बर प्लेट**
- **घटना में प्रयुक्त 01 स्विफ्ट डिजायर कार आदि बरामद**

दिनांक 08.11.2022 को थाना कसया व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर विशुनपुरा कट के पास से पीओएस मशीन के माध्यम से धोखाधड़ी

कर आनलाइन पैसा ट्रान्सफर करने वाले अभियुक्त जॉनी शासी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 22 हजार रूपये नगद, 01 लाख 51 हजार 375 रूपये नगद, 01 पीओएस पेटीएम मशीन, 01 स्कैचर मशीन, 21 एटीएम कार्ड, 13 फर्जी सिम, 05 मोबाइल फोन, 02 कूटरचित नम्बर प्लेट, घटना में प्रयुक्त 01 स्विफ्ट डिजायर कार आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो भीड़भाड़ वाले एटीएम मशीन पर लाइन में खड़े व्यक्ति को बातों में उलझा कर उनका एटीएम पासवर्ड देखकर तथा मदद करने के बहाने धोखे से एटीएम कार्ड बदलकर पीओएस मशीन के माध्यम से पैसा निकाल लेते है।

इस सम्बन्ध में थाना कसया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जॉनी शासी निवासी जी–ब्लाक फ्रेन्सी क्लब सुल्तानपुरी थाना सुल्तानपुरी पुरानी दिल्ली।

बरामदगी

1–22 हजार रूपये नगद।

2–01 लाख 51 हजार 375 रूपये नगद।

3–01 पीओएस पेटीएम मशीन, 01 स्कैचर मशीन।

4–21 एटीएम कार्ड, 13 फर्जी सिम, 05 मोबाइल फोन, 02 नम्बर प्लेट।

5–घटना में प्रयुक्त 01 स्विफ्ट डिजायर कार आदि।

जनपद शाहजहॉपुर/थाना जैतीपुर

- **02 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 01 करोड़ 20 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत)के 01 किलो 200 ग्राम फाइन क्वालिटी की अफीम**
- **02 मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 09.11.2022 को थाना जैतीपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पडेलिया पुलिया से 02 मादक पदार्थ तस्करों 1– रईस अहमद 2– जाहिद को गिरफ्तार

किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 करोड़ 20 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत)के 01 किलो 200 ग्राम फाइन क्वालिटी की अफीम, 02 मोटर साइकिल बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना जैतीपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रईस अहमद निवासी ग्राम मंझगवा थाना विसारतगंज जनपद बरेली।

2–जाहिद निवासी ग्राम मंझगवा थाना विसारतगंज जनपद बरेली।

बरामदगी

1–लगभग 01 करोड़ 20 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत)के 01 किलो 200 ग्राम फाइन क्वालिटी की अफीम।

2–02 मोटर साइकिल।

जनपद शाहजहॉपुर/थाना कटरा

- **03 मादक पदार्थ तस्कर**
- **लगभग 01 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलोग्राम अवैध फाइन क्वालिटी अफीम**
- **02 मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 09.11.2022 को थाना कटरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर खैरपुर चौराहा से 03 मादक पदार्थ तस्करों 1–अंकुर 2–प्रफुल्ल 3–प्रॉचल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलोग्राम अवैध फाइन क्वालिटी अफीम, 02 मोटर साइकिल बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना कटरा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अंकुर निवासी मोहल्ला नौशारा कसबा व थाना जलालाबाद जनपद शाहजहॉपुर।

2—प्रफुल्ल निवासी मोहल्ला कानून गौयान कस्बा व थाना जलालाबाद जनपद शाहजहॉपुर।

3—प्रॉचल निवासी मोहल्ला कानून गौयान कस्बा व थाना जलालाबाद जनपद शाहजहॉपुर।

बरामदगी

1—लगभग 01 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलोग्राम अवैध फाइन क्वालिटी अफीम।

2—02 मोटर साइकिल।

- **जनपद फतेहपुर/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या—1 जनपद फतेहपुर द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 352/323 भादवि 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मंगल पासवान को 07 वर्ष के कठोर कारावास व 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————————